

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 169/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एडलवैस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- एडलवैस हाऊस, ऑफ सीएसटी
रोड, कलीना रोड, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स राधेश्याम किराना स्टोर जरिये प्रोपराईटर श्री रमेश खण्डेलवाल,
2. श्री रमेश खण्डेलवाल पुत्र श्री मंगल चंद,
3. श्री मंगलचंद खण्डेलवाल पुत्र श्री लच्छी राम,
4. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मंगल चंद,

पता:- प्लॉट नं. 20, एकता कॉलोनी, रोड़ नं. 17, वी. के. आई., आकेड़ा झूंगर, अखैपुरा, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002


अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपरिस्थित :- अदिति चन्देल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था एचडीबी फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रमेश खण्डेलवाल के स्वागित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 20, एकता कॉलोनी, रोड़ नं. 17, वी. के. आई., आकेड़ा झूंगर, अखैपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 170 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। एचडीबी फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी का ऋणी खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 28.02.2023 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अराफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

3. पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिपूर्ति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन सी ए घोषित होने से निगमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16,83,429.22/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.04.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रमेश खण्डेलवाल के स्वागित्त की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 20, एकता कॉलोनी, रोड़ नं. 17, सी. के. आई., आकेड़ा डूंगर, अखैपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 170 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कागदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 20.09.2024 को सारे इजलास सुनाया गया।



(**डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी**)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (राजस्थान)